यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी, गढ़वाल, उत्तराखंड, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी, गढ़वाल, उत्तराखंड, के माह जून 2015 से दिसम्बर 2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुनील दत्त एवं श्री मुकेश कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 07.01.2019 से 10.01.2019 तक श्री एस॰ के॰ वर्मा, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रामप्रीत, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री सलीम खान, पर्यवेक्षक एवं श्री अनिल कुमार –1 लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17.06.2015 से 25.06.2015 तक श्री राकेश कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2008 से 05/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2015 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** भौगोलिक अधिकार सम्पूर्ण टिहरी गढ़वाल जिला है तथा इकाई का क्रियाकलाप जिले मे शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रशासननिक एवं वित्तीय नियंत्रण रखना है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	आवंटन	व्यय	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	2202 माध्यमिक शिक्षा 4504	406.93	406.93	-	-
2016-17	2202 माध्यमिक शिक्षा 4504	1660.00	1660.00	-	-
2017-18	2202 माध्यमिक शिक्षा 4504	867.89	867.89	-	-
2018-19 **(Upto Dec** 18)	2202 माध्यमिक शिक्षा 4504	1099.75	951.43	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख मे)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्राप्त**		**व्यय**		**अधिक्य (+)**		**बचत (-)**	
		GoI	**State**	**GoI**	**State**	**GoI**	**State**	**GoI**	**State**
2015-16	-	-Nil-							
2016-17	-								
2017-18	-								
योग:									

(स) कार्यक्रम/योजना/परियोजना के क्रियान्वयन मे संलग्न समितियों एवं एन०जी०ओ का विवरण:

S.No	**Year**	**Name of Society/ NGO involved**	**Government expenditure through Society/NGO**
1	**2**	**3**	**4**
1	2015-16	-Nil-	
2	2016-17		
3	2017-18		

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "सी" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा संलग्न है।

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण टिहरी गढ़वाल जिला है लेखा परीक्षा मे नमूना लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखो को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी, गढ़वाल, उत्तराखंड की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। आहरण एवं वितरण कोड 4504 हेतु माह **मार्च 2017** एवं **दिसम्बर 2018** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। कार्यालय स्तर पर योजनाओ का संचालन नहीं किया जाता है

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1: निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित न होने से ₹ 51.87 लाख का दो वर्षो से अवरोधन।

मा. मुख्यमंत्री घोषणा अंतर्गत जीर्ण शीर्ण विद्यालयो के भवन/ कक्षा कक्ष / अन्य निर्माण कार्यो हेतु शासन द्वारा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ओनाल गाँव , टिहरी मे दो अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण के लिए ₹ 51.87 लाख स्वीकृत किए गए तथा शासन द्वारा उक्त धनराशि निर्गत किया गया (दिसम्बर 2016)। स्वीकृत धनराशि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखंड द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी को हस्तांतरित किया गया (दिसम्बर 2016)। कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, चंबा थी।

इकाई की लेखापरीक्षा (जनवरी 2019) मे अभिलेखो की जांच मे देखा गया कि विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित किए गए थे (जनवरी 2017) जिसके अनुसार कार्य को पूर्ण करने की अवधि 15 माह नियत की गयी थी। विद्यालय द्वारा दिसम्बर 2017 मे सूचित किया गया था कि निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। भूमि की अनुपलब्धता के कारण धनराशि निर्गत किए जाने के दो वर्षो की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी कार्य अनारम्भ था तथा इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शून्य थी। लेखा परीक्षा तिथि तक निर्माण इकाई को ₹ 45.39 लाख निर्गत किया जा चुका था तथा अवषेश राशि ₹ 6.48 लाख इकाई कार्यालय के पास पड़ा था।

लेखापरीक्षा (जनवरी 2019) मे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो की पुष्टि करते हुए बताया गया कि भूमि उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है तथा इस संबंध मे प्रयास किए जा रहे है, निर्माण न होने की दशा मे संबन्धित निर्माण इकाई से धनराशि प्राप्त कर कोषागार मे जमा करा दिया जाएगा। भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्यदायी संस्था को धनराशि निर्गत किए जाने पर इकाई द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

इस प्रकार, भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्यदायी संस्था को ₹ 45.39 लाख की धनराशि निर्गत किए जाने, जो विगत दो वर्षो से कार्यदायी संस्था के पास एवं ₹ 6.48 लाख इकाई के पास अवरोधित पड़े होने का तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:2- शासनादेश के अनुसार निर्धारित कार्य एवं दायित्व के अनुश्रवण संबंधी प्रावधान एवं उनका अनुपालन न किया जाना।

शासनादेश (अक्टूबर 2012) के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के कार्य एवं दायित्व निर्धारित किये गये थे[1] जिसे महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखंड द्वारा अनुपालनार्थ पुनः प्रसारित किया गया था (अप्रैल 2017) जिसके अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के निम्न कार्य एवं दायित्व है:-

मानव संसाधन से संबन्धित कार्य:

- जनपदो मे माध्यमिक शिक्षा से संबन्धित अध्यापक, कार्मिको की सूचनाए अद्यतन रखना तथा ई पोर्टल पर उपलब्ध करना;
- खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यो का अनुश्रवण करते रहना;

कार्यालय प्रबंधन से संबन्धित कार्य:

- कार्यालय मे पत्रावली / पंजिकाओं का एक मास्टर रजिस्टर रखना जिसमे सभी पत्रवालियों / पंजिकाओं की अंकना सुनिश्चित करना;
- कार्यालय मे पत्रावलियों को व्यवस्थित रखना व इनको नियमानुसार नाम एवं क्रमांक दिया जाना ;
- कार्यालय मे शासनादेशों की गार्ड फाइल रखना तथा उसमे प्रथम पृष्ठ पर समस्त संग्रहीत शासनादेशों की सूची रखना ताकि ज्ञात रहे कि नया शासनादेश किस क्रमांक पर है;
- क्रय हेतु वित्तीय अधिनियमावली 2008 का पालन सुनिश्चित करना;
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यालय मे कोई भी प्रकरण लंबित न रखना;

अकादमिक प्रबंधन से संबन्धित कार्य :

- डाइट (DIET) का विद्यालयो मे शैक्षिक गुणवत्ता सुधार हेतु नियोजित रूप से सहयोग प्राप्त करना तथा डाइट के बैठको मे भाग लेना;
- कस्तूरबा गांधी बालिका अवासीय विद्यालय एवं बालिका अवासीय छात्रावास के मासिक समीक्षा कर समस्यायों का निराकरन करना;
- जनपद मे संचालित प्रशिक्षणों का अनुश्रवण करना एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित करना।

महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा द्वारा न्यूनतम संख्या का निर्धारण कर प्रत्येक माह निरीक्षण हेतु पुनः निर्देशित किया गया था (सितम्बर 2018) लेखा परीक्षा मे निरीक्षण संबंधी पत्रावली के अवलोकन मे हस्तलिखित विस्तृत

[1] शासनादेश संख्या 599/XXIV-2/2012 दिनांक 9 अक्तूबर 2012

निरीक्षण प्रतिवेदन नहीं पाये गए क्योंकि उन्हे ऑन लाइन तैयार किया जा रहा था, खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यो एवं विद्यालयो के निरीक्षण संबंधी प्रतिवेदन भी ऑनलाइन ही तैयार किए गए थे । कार्यालय प्रबंधन संबंधी अभिलेखो के रखरखाव तथा विद्यालयो के मासिक निरीक्षण संबंधी निर्धारित प्रावधान अनुकरणित नहीं किए गए थे।

उक्त के संबंध मे लेखा परीक्षा (जनवरी 2019) मे पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि मानव संसाधन संबंधी सूचनाए पोर्टल पर रखी गयी हैं, कार्यालय प्रबंधन अंतर्गत अभिलेखो के रखरखाव के संबंध मे बताया गया कि आगे से इस संबंध मे वर्णित प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।

तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:1- विस्तृत जांच हेतु चयनित माह के 42 वाउचरों को लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड -5 भाग 27 के प्रस्तर 1 अ के अनुसार प्रत्येक सरकारी अधिकारी जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप मे कोई लेन देन करता है तो उसे प्रत्येक लेन देन की प्रविष्टि यथाशीघ्र रोकड़-बही मे करना चाहिए और उस पर अपना नमूना हस्ताक्षर करना चाहिए तथा प्रत्येक माह किसी कार्यालय द्वारा रोकड़-बही मे प्राप्ति एवं भुगतान का मिलान कर समाधान विवरण तैयार करना चाहिए। देयक की द्वितीय प्रति संदर्भ हेतु कार्यालय मे रखी जानी चाहिए।

इकाई के चयनित माह मार्च 2017 के रोकड़ बही तथा संबन्धित वाउचर की जांच मे इकाई द्वारा समस्त भुगतान वाउचर लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं करा पाने के कारण उनका रोकड़-बही के साथ मिलान नहीं किया जा सका [2]।

लेखा परीक्षा मे मांगे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि संबन्धित वाउचर उपनल से नियुक्त कार्मिको एवं कार्यालय के वेतन बिल हैं जिन्हे खोजकर लेखा परीक्षा मे जांच हेतु प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

[2] वाउचर संख्या जिनका मिलान नहीं किया जा सका: 1, 8, 9, 15, 16, 23, 26, 27, 34, 35, 44, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 75, 86, 118, 119, 120, 127, 128, 146, 147, 148 149, 151, 152, 155 एवं 157 (कुल संख्या 42)

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर	भाग-II 'ब' प्रस्तर	Stan
122/2008-09	शून्य	1,2	01
42/2015-16	शून्य	1,2,3	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त कार्यालय महालेखाकार को प्रेषित कर दिया जाएगा।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------------शून्य-----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी, गढ़वाल, उत्तराखंड, तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है, तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(I) चयनित माह मार्च 2017 के 42 वाउचर

2. **सतत् अनियमितताएः**

-शून्य-

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1°	श्री अतुल सेमवाल	जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)	जून 2015 से अगस्त 2016
2°	श्री ब्रहमपाल सिंह सैनी	जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)	अगस्त 2016 से मई 2017
3°	श्री शिव प्रसाद सेमवाल	जिला शिक्षा अधिकारी(मा0)	मई 2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड, को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा), "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.